

[2021] 9 एस.सी.आर. 284

मेसर्स मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(2021 की दीवानी अपील संख्या 5728)

24 सितंबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, विक्रम नाथ और बी वी नागरत्ना, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधान: अनुच्छेद 226 - उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकार - प्रयोग का स्वरूप - तथ्यों से संबंधित विवाद - उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकार के अधीनता - तथ्यात्मक स्थिति में, अपीलकर्ता कंपनी अपने स्वयं के उपभोग के लिए बिजली उत्पन्न करती थी और अधिशेष ऊर्जा बिहार राज्य विद्युत मंडल (बीएसईबी) को आपूर्ति करती थी - अपीलकर्ता को सूचना पत्र जारी किया गया जिसमें उसके द्वारा बीएसईबी को दी जा रही बिजली पर विद्युत शुल्क और दंड की मांग की गई - उक्त मांग के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा दायर विनिर्दिष्ट आदेश याचिका - उच्च न्यायालय द्वारा यह कहते हुए अपास्त कर दी गई कि पक्षों के बीच विवाद तथ्यात्मक प्रकृति का है और अपीलकर्ता को 1948 के अधिनियम में प्रदत्त वैकल्पिक उपाय का उपयोग करना चाहिए - अपील में, यह निर्णय दिया गया: वैकल्पिक उपाय के अस्तित्व मात्र से ही उच्च न्यायालय को कुछ परिस्थितियों में अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। वैकल्पिक उपाय के सिद्धांत से संबंधित विधि के अनुसार, यदि किसी प्राधिकारी के आदेश को अधिकार या क्षेत्राधिकार के अभाव में चुनौती दी जाती है, तो यह एक शुद्ध विधि का प्रश्न होता है, और ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है। किसी प्रश्न के विधिक प्रश्न होने की कसौटी यह है कि क्या उस प्रश्न के निर्धारण हेतु मामले के तथ्यों का संदर्भ आवश्यक है या नहीं। यदि पक्षकारों के

अधिकारों का निर्धारण तथ्यों के बिना किया जा सकता है, तो वह प्रश्न विधि का प्रश्न माना जाएगा। इस मामले में याचिकाओं में राज्य सरकार के उस अधिकार/क्षेत्राधिकार को चुनौती दी गई थी जिसके आधार पर उसने बिजली बोर्डों को बिजली की बिक्री पर कर लगाने की शक्ति का दावा किया था। उठाए गए मुद्दे ऐसे विधिक प्रश्न हैं जिनके समाधान के लिए केवल विद्युत अधिनियम का समग्र अध्ययन आवश्यक है, तथ्यों की जांच की आवश्यकता नहीं है। अतः यह मामला उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विचारणीय है। उच्च न्यायालय ने विनिर्दिष्ट आदेश याचिका पर विचार करने से इनकार कर त्रुटि की है। इसलिए, उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है। बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948।

अनुच्छेद 226 - उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार - वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता की स्थिति में उसका प्रयोग - सामान्य सिद्धांत।

अपील को स्वीकार करते हुए,

न्यायालय ने कहा: 1. उच्च न्यायालय सामान्यतः संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपनी रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, यदि कोई प्रभावी और उपयुक्त वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो। तथापि, वैकल्पिक उपाय का मात्र अस्तित्व ही उच्च न्यायालय को कुछ परिस्थितियों में अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग से प्रतिबंधित नहीं करता। [कंडिका 19][300-ई-एफ]

2. अपीलकर्ता का यह मामला नहीं है कि उत्तरदाताओं ने उस पर लगाए गए शुल्क और दंड की गलत गणना की है। अपीलकर्ता ने यह प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार को बीएसईबी को की गई विद्युत बिक्री पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। अतः यह दलील सरकार के अधिकार-क्षेत्र के प्रयोग पर प्रहार करती है। वैकल्पिक उपाय के सिद्धांत से संबंधित विधि के आलोक में, उच्च न्यायालय तब अपनी रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर

सकता है जब प्राधिकारी के आदेश को अधिकार या क्षेत्राधिकार की अनुपस्थिति के आधार पर चुनौती दी गई हो, जो कि एक शुद्ध विधिक प्रश्न है। [कंडिका 22][304-ए-बी]

3. अपीलकर्ता और बीएसईबी के बीच लेन-देन की प्रकृति को लेकर कोई विवाद नहीं है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता एक शुगर मिल है, जो बिजली भी उत्पन्न करती है। अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था। इन याचिकाओं में राज्य सरकार की उस शक्ति को चुनौती दी गई थी जिसके तहत वह विद्युत बोर्डों को बिजली की बिक्री पर कर लगा सकती है। [कंडिका 23][304-सी-डी]

4. किसी विधिक प्रश्न के निर्धारण के लिए लागू किया जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण तथ्यों के संदर्भ के बिना किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय को अधिनियम की धारा 3 में प्रयुक्त वाक्यांशों के अर्थ का निर्धारण करने का दायित्व सौंपा गया था, ताकि यह तय किया जा सके कि अपीलकर्ता द्वारा की गई विद्युत आपूर्ति उसके दायरे में आती है या नहीं। यहाँ किसी तथ्यात्मक निर्णय की आवश्यकता नहीं है। [कंडिका 23][305-ई-एफ]

5. यह अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे कानून के प्रश्न हैं, जिनके लिए बिहार विद्युत अधिनियम का समग्र अध्ययन आवश्यक है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या विद्युत आपूर्ति पर कर लगाया जा सकता है, जब कोई विद्युत उत्पादक (जो चीनी का भी निर्माण करता है) विद्युत को एक वितरक को आपूर्ति करता है; और क्या प्रथम उत्तरदाता को किसी मध्यवर्ती वितरक को विद्युत की बिक्री पर शुल्क लगाने की विधायी शक्ति प्राप्त है। यह प्रश्न कि क्या अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 6(बी)(1) और 5 ए के तहत रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है, सीधे इस बात से संबंधित है कि क्या अपीलकर्ता द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को की गई विद्युत बिक्री धारा 3(1) के अधिभार प्रावधानों के

अंतर्गत आती है या नहीं। अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए प्रश्नों का निर्णय किसी तथ्यात्मक विवाद में पड़े बिना किया जा सकता है। अतः यह मामला उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता के अंतर्गत विचारणीय है। उच्च न्यायालय ने विनिर्दिष्ट आदेश याचिका पर विचार करने से इनकार करके भूल की है। उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है। विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को पुनः विचारार्थ उच्च न्यायालय की सूची में बहाल किया जाता है। [कंडिका 24, 25][305-जी-एच; 306-ए-बी]

आंध्र प्रदेश राज्य बनाम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (2002) 5 एससीसी 203 : [2002] 3 एससीआर 278; राजा टेक्सटाइल्स लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी, (1973) 1 एससीसी 633; स्टेट ट्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम मैसूर राज्य, एआईआर 1963 एससी 548 : [1963] एससीआर 792; राधा किशन इंडस्ट्रीज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (2021) एससीसी ऑनलाईन एससी 334; व्हेलपूल कॉर्पोरेशन बनाम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स, मुंबई, (1998) 8 एससीसी 1 : [1998] 2 पूरक एससीआर 359; हरबंसलाल सहनी बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (2003) 2 एससीसी 107; राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2021) एससीसी ऑनलाईन एससी 334; राज्य कर के सहायक आयुक्त बनाम एम/एस कमर्शियल स्टील लिमिटेड, दीवानी अपील संख्या 5121 वर्ष 2021; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम गुजरात अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड, (2005) 6 एससीसी 499 : [2005] 1 पूरक एससीआर 684; कार्यपालक अभियंता बनाम सीताराम राइस मिल, (2012) 2 एससीसी 108 : [2011] 15 एससीआर 211; भारत संघ बनाम हरियाणा राज्य, (2000) 10 एससीसी 482; श्री मीनाक्षी मिल्स

लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, एआईआर 1957 एससी 49 : [1956]

एससीआर 691 – संदर्भित।

नजीर संदर्भ

[2002] 3 एससीआर 278	अनुच्छेद 13	में संदर्भित
(1973) 1 एससीसी 633	अनुच्छेद 15	में संदर्भित
[1963] एससीआर 792	अनुच्छेद 15	में संदर्भित
[1998] 2 सप्ली. एससीआर 359	अनुच्छेद 19	में संदर्भित
(2003) 2 एससीसी 107	अनुच्छेद 19	में संदर्भित
[2005]1 पूरक एससीआर 684	अनुच्छेद 19	में संदर्भित
[2011]15 एससीआर 211	अनुच्छेद 19	में संदर्भित
(2000) 10 एससीसी 482	अनुच्छेद 21	में संदर्भित
[1956] एससीआर 691	अनुच्छेद 23	में संदर्भित

दीवानी अपीलिय क्षेत्राधिकार: 2021 की दीवानी अपील संख्या 5728 ।

पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.09.2017 को 2015 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 4300 में पारित निर्णय और आदेश से।

एस. के. बगरिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रवीण कुमार, कुमार अजीत सिंह, सुश्री सुनैना कुमार : अपीलकर्ता पक्ष के लिए अधिवक्तागण।

साकेत सिंह, श्रीमती निरंजना सिंह, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया।

1. अनुमति किया गया।

2. यह अपील पटना उच्च न्यायालय के खंड पीठ के दिनांक 18 सितम्बर 2017 के निर्णय से उत्पन्न होती है। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए अपीलकर्ता

द्वारा दायर विनिर्दिष्ट आदेश याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया कि पक्षकारों के बीच विवाद तथ्यात्मक प्रकृति का है और इसका निपटारा बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948¹ के अंतर्गत प्रदत्त वैधानिक उपाय के अनुसार किया जाना उपयुक्त है। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का सहारा लेते हुए उस विद्युत शुल्क और दंड की वैधता को चुनौती दी थी, जो उसने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड² को आपूर्ति की जा रही विद्युत पर लगाया गया था।

मामले के तथ्य

3. अपीलकर्ता एक शुगर मिल कंपनी है, जो नरकटियागंज, बिहार में संचालित होती है। यह सफेद क्रिस्टल शक्कर के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में संलग्न है। गन्ने से शक्कर निर्माण की प्रक्रिया में उत्पन्न अपशिष्ट (बगास) का उपयोग अपनी स्वयं की खपत हेतु विद्युत उत्पादन में किया जाता है, और अधिशेष ऊर्जा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को आपूर्ति की जाती है। अपीलकर्ता 6 मार्च 2008 से बीएसईबी को विद्युत की आपूर्ति कर रहा है।

4. बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948³ के मूल रूप में, राज्य सरकार (प्रथम उत्तरदाता) को धारा 3(1) के अंतर्गत उपभोग या बिक्री की गई ऊर्जा की इकाइयों पर, प्रसारण और रूपांतरण में हुई ऊर्जा की हानि को छोड़कर, प्रथम उत्तरदाता द्वारा निर्दिष्ट दरों पर विद्युत शुल्क लगाने की शक्ति प्रदान की गई थी। इस अधिनियम की अनुसूची में शुल्क की दरें निर्दिष्ट थीं। बाद में, 2002 में बिहार विद्युत अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूची को हटा दिया गया और धारा 3(1) में संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत राज्य सरकार को

1 "बिहार विद्युत अधिनियम" या "अधिनियम"

2 "बीएसईबी"

3 "अधिनियम"

ऊर्जा के उपभोग या बिक्री की इकाइयों अथवा उसके मूल्य के आधार पर, अधिसूचना द्वारा निर्धारित दरों पर कर लगाने की अनुमति दी गई। धारा 3(1) का वर्तमान रूप इस प्रकार प्रावधान करता है:

“3. शुल्क की घटना –(1) उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार को ऊर्जा की इकाइयों या उपभोग या बिक्री के मूल्य पर, जिसमें प्रसारण और रूपांतरण में हुई ऊर्जा की हानि शामिल नहीं होगी, एक अधिभार लगाया और भुगतान किया जाएगा। शुल्क की दर या दरें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाएंगी।

यह उपबंधित है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऊर्जा के उपभोग या बिक्री की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में विभिन्न दरें निर्दिष्ट कर सकती है।

यह भी उपबंधित है कि यदि शुल्क ऊर्जा की उपभोग या बिक्री की इकाइयों के आधार पर लगाया जाता है तो दर बीस पैसे प्रति इकाई से अधिक नहीं होगी, और यदि शुल्क ऊर्जा के मूल्य के आधार पर लगाया जाता है तो दर ऊर्जा के मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(2) ऊर्जा की निम्नलिखित इकाइयों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा –

(क) भारत सरकार द्वारा उपभोग की गई या भारत सरकार को उपभोग के लिए बेची गई ऊर्जा इकाइयाँ।

(ख) किसी रेलवे के निर्माण, रखरखाव या संचालन में प्रयुक्त या इस प्रयोजन हेतु ऐसी किसी रेलवे कंपनी या भारत सरकार को बेची गई ऊर्जा इकाइयाँ।

(ग) ऐसे विद्युत उपक्रम के निर्माण, अनुरक्षण और संचालन में अनुज्ञाप्राप्त व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई विद्युत।

(घ) ऐसे किसी वर्ग के व्यक्तियों द्वारा उपभोग की गई या बेची गई विद्युत जो धारा 9 के अंतर्गत शुल्क के भुगतान से मुक्त किए गए हैं।

(ड) दामोदर घाटी निगम द्वारा विद्युत के उत्पादन, संप्रेषण या वितरण के लिए उपभोग की गई विद्युत।

(च) ऐसे किसी प्रयोजन के लिए उपभोग की गई विद्युत जिसे राज्य सरकार इस संबंध में अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन घोषित कर सकती है; ऐसी छूट उन शर्तों और उपबंधों के अधीन होगी, यदि कोई हों, जैसा कि उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है।

(3) जब कोई अनुज्ञाप्राप्त व्यक्ति एक से अधिक अनुज्ञापत्र रखता है तो प्रत्येक अनुज्ञापत्र के संबंध में पृथक रूप से शुल्क देय होगा।”

(जोर दिया गया)

5. निर्धारित अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत प्राप्त अपने अधिकारों के अनुसरण में, प्रथम उत्तरदाता ने 21 अक्टूबर 2002⁴ को एक अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार सिंचाई के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए उपभोग या बिक्री की जाने वाली विद्युत पर लागू शुल्क की दर, उपभोग या बिक्री की गई ऊर्जा के मूल्य के छह प्रतिशत के रूप में निर्धारित की गई। उक्त अधिसूचना में 4 मार्च 2005⁵ की अधिसूचना के माध्यम से संशोधन किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि स्व-उपयोग के लिए उत्पन्न विद्युत ऊर्जा पर शुल्क लगाए जाने की दर, ऊर्जा के मूल्य के छह प्रतिशत के बराबर होगी, जो बिहार राज्य विद्युत मंडल द्वारा निर्धारित ऊर्जा दर के समान होगी। यह भी उल्लेखनीय है कि 14 जनवरी 2011⁶ को प्रथम उत्तरदाता द्वारा अधिनियम की धारा 9⁷ के तहत एक अधिसूचना जारी की गई,

4 एस ओ 137

5 एस ओ 14

6 एस ओ 1

7 इस अधिनियम अंतर्गत देय शुल्क से छूट देने की राज्य सरकार की शक्ति कार्यवाही करना।

जिसके माध्यम से स्व-उपयोग हेतु कैप्टिव पावर प्लांट्स द्वारा उत्पन्न विद्युत पर विद्युत शुल्क के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान की गई।

6. अपीलकर्ता ने बिहार शुगर मिल्स एसोसिएशन के माध्यम से दिनांक 21 अक्टूबर 2002 तथा 4 मार्च 2005 की अधिसूचनाओं को पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका⁸ दायर कर चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 16 सितंबर 2009 के निर्णय द्वारा उक्त अधिसूचनाओं तथा बिहार विद्युत अधिनियम की धारा 3(1) में किए गए संशोधन को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि उक्त अधिनियम या अधिसूचनाओं में "ऊर्जा के मूल्य" शब्दांश की व्याख्या के लिए कोई दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं है। निर्णय का प्रासंगिक अंश निम्नलिखित है:

"19. उपर्युक्त विचार-विमर्श के आलोक में यह स्पष्ट है कि धारा 3(1) में किया गया संशोधन, जहाँ तक यह "ऊर्जा के मूल्य" पर शुल्क के भुगतान का प्रावधान करता है, अवैध घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि अधिनियम में यह निर्दिष्ट नहीं है कि किन परिस्थितियों में शुल्क ऊर्जा की खपत या विक्रय के मूल्य के आधार पर देय होगा। इसी प्रकार, दिनांक 21.10.2002 की अधिसूचना जिसमें ऊर्जा के मूल्य का 6 प्रतिशत शुल्क के रूप में देय ठहराया गया है, उसे भी अभिखंडित किया जाना आवश्यक है क्योंकि ऊर्जा के मूल्य का निर्धारण करने के लिए कोई दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं है। तत्पश्चात दिनांक 04.03.2005 की अधिसूचना एस.ओ. सं.14 भी इसी कारण से निरस्त की जाने योग्य है। चूँकि संशोधन एवं अधिसूचनाएँ अमान्य घोषित की गई हैं, अतः यह स्पष्ट है कि शुल्क का भुगतान उस अनुसूची के अनुसार किया जाएगा जो बिहार विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 1993 के तहत प्रभावी थी।"

7. पहले उत्तरदाता, उच्च न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होकर, इस न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका⁹ दायर की। जब यह मामला इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था, उस दौरान पहले उत्तरदाता ने बिहार वित्त अधिनियम, 2012 के माध्यम से, 17 अक्टूबर 2002 से प्रत्यावर्ती प्रभाव के साथ, अधिनियम में संशोधन किया ताकि 'ऊर्जा के मूल्य' शब्द को परिभाषित किया जा सके। अधिनियम में धारा 2 (ईई) जोड़े जाने के फलस्वरूप, उक्त अभिव्यक्ति इस प्रकार है:

“(ईई) ‘ऊर्जा का मूल्य’ –

(i) उस स्थिति में जब अनुज्ञप्तिधारक या कोई ऊर्जा उत्पादक व्यक्ति उपभोक्ता को ऊर्जा बेचता है, तो इसका अर्थ होगा वह शुल्क जो उपभोक्ता द्वारा उस अनुज्ञप्तिधारक या ऊर्जा उत्पादक व्यक्ति को, उनके द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा हेतु, देय है; परंतु इसमें निम्नलिखित शुल्क सम्मिलित नहीं होंगे, अर्थात् –

(1) मीटर शुल्क

(2) विलंबित भुगतान पर ब्याज

(3) फ्यूज ऑफ कॉल शुल्क और पुनः कनेक्शन शुल्क:

यह उपबंध किया गया है कि यदि किसी उपभोक्ता द्वारा कोई विद्युत ऊर्जा उपभोग नहीं की गई है, तो उसके द्वारा देय न्यूनतम शुल्क को विद्युत ऊर्जा का मूल्य नहीं माना जाएगा:

यह भी उपबंध किया गया है कि यदि किसी उपभोक्ता द्वारा वास्तव में उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा की इकाइयाँ उन इकाइयों से कम हैं जिनके लिए निर्धारित न्यूनतम शुल्क देय हैं, तो ऐसे उपभोक्ता के मामले में विद्युत ऊर्जा का मूल्य का अर्थ होगा – उसके द्वारा वास्तव में उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा की इकाइयों के लिए देय शुल्क, न कि निर्धारित न्यूनतम शुल्क।

9 विशेष अनुमति दिए जाने के परिणामस्वरूप, इसे 2010 की दीवानी अपील संख्या 2570 में परिवर्तित कर दिया गया

(ii) जहां किसी व्यक्ति द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा का उपभोग स्वयं उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, उस स्थिति में “ऐसी ऊर्जा की मात्रा के लिए वह शुल्क जो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, जिसे विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 (1948 की अधिनियम सं. 54) की धारा 5 के अंतर्गत गठित किया गया है, के द्वारा उस क्षेत्र में, जहाँ उपभोक्ता स्थित है, आपूर्ति की गई ऊर्जा के संबंध में किसी अन्य उपभोक्ता द्वारा देय होता है।”

(जोर दिया गया)

अपीलकर्ता ने संशोधन को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय की रिट क्षेत्राधिकार¹⁰ का सहारा लिया। याचिका विचाराधीन है।

8. दिनांक 3 जनवरी 2015 को, चतुर्थ उत्तरदाता ने अपीलकर्ता को सूचना पत्र जारी किया कि उसने अधिनियम की धारा 6बी(1) के अंतर्गत रिटर्न दाखिल नहीं किया, लगभग 56 करोड़ रुपये मूल्य की विद्युत बिक्री को छिपाया, तथा लगभग 67 करोड़ रुपये की विद्युत शुल्क एवं दंड की मांग उठाई। यह सूचना पत्र लेखा महानियंत्रक (लेखा परीक्षा), बिहार की दिनांक 24 दिसंबर 2014 की प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया था। अपनी दिनांक 5 फरवरी 2015 की प्रत्युत्तर में, अपीलकर्ता ने यह तर्क दिया कि बीएसईबी को विद्युत आपूर्ति पर कोई कर अधिरोपित नहीं किया जा सकता, निम्नलिखित कारणों से:

(i) अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कर ‘ऊर्जा के मूल्य’ पर अधिरोपित किया जाता है। धारा 2(ईई) केवल उपभोक्ता के विक्रय को ‘ऊर्जा के मूल्य’ की परिधि में लाती है;

(ii) धारा 2(डी) में दी गई परिभाषा के अनुसार बीएसईबी एक ‘अनुज्ञप्तिधारक’ है, ‘उपभोक्ता’ नहीं; और।

(iii) प्रथम उत्तरदाता द्वारा 12 सितम्बर 2006 को जारी प्रस्ताव में चीनी तथा अन्य सहायक उद्योगों की स्थापना और विकास के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों की घोषणा की गई थी, जिसमें सह-उत्पादन के लिए पाँच वर्षों तक विद्युत शुल्क से मुक्ति भी सम्मिलित थी।

9. वर्तमान अपील में 'उपभोक्ता' शब्द की परिभाषा का विशेष महत्व है, क्योंकि अपीलकर्ता ने यह तर्क दिया है कि धारा 3 में कर लगाने के लिए प्रयुक्त 'ऊर्जा का मूल्य' शब्द उस पर लागू नहीं होता, क्योंकि 'उपभोक्ता' की परिभाषा में 'अनुज्ञसिधारक' को सम्मिलित नहीं किया गया है। 'उपभोक्ता' शब्द की परिभाषा बिहार विद्युत अधिनियम की धारा 2(बी) में निम्नलिखित रूप में दी गई है—

9. "उपभोक्ता" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसे ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है, लेकिन इसमें न तो किसी अनुज्ञसिधारक को शामिल किया जाएगा और न ही उस "वितरण अनुज्ञसिधारक" को, जैसा कि अनुसूची के खंड IX के उपखंड 1(क) में भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का अधिनियम संख्या 9) में वर्णित है, और न ही उस व्यक्ति को जो उक्त अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त करता है।"

(जोर दिया गया)

अपीलकर्ता, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत आपूर्ति करता है, जो विद्युत वितरण के व्यवसाय में संलग्न है। अपीलकर्ता किसी अन्य व्यक्ति को विद्युत आपूर्ति नहीं करता है। अतः अपीलकर्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि वह किसी अनुज्ञसिधारक को विद्युत आपूर्ति करने के लिए बिहार विद्युत अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत विद्युत शुल्क से आरोपित नहीं किया जा सकता।

10. दिनांक 8 फरवरी 2015 को, सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर, बेतिया ने अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति को अस्वीकार कर दिया और लगभग 67 करोड़ रुपये की

विद्युत शुल्क तथा दंड की मांग की पुष्टि करते हुए एक आकलन आदेश पारित किया, निम्नलिखित आधारों पर:

- (i) अपीलकर्ता ने यह स्वीकार किया है कि वह अपनी खपत से अधिक विद्युत बेचता है। प्रत्येक विद्युत बिक्री पर शुल्क लगाया जाता है; और
- (ii) अधिसूचना दिनांक 14 जनवरी 2011 केवल उत्पादनकर्ता या स्व-उपयोग के लिए कैप्टिव पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को ही छूट प्रदान करती है।

11. दिनांक 14 फरवरी 2015 को अपीलकर्ता को 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए विद्युत शुल्क और दंड की मांग संबंधी सूचना पत्र जारी किए गए। इन सूचना पत्रों को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में एक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका¹¹ दायर की और निम्नलिखित अनुतोषों की प्रार्थना की:

“याचिकाकर्ता के विरुद्ध दिनांक 14.2.2015 को जारी सूचना पत्रों को अभिखंडित करने हेतु, जिनके माध्यम से शुल्क भुगतान की मांग की गई थी, तथा यह घोषित करने के लिए कि याचिकाकर्ता को रिटर्न दाखिल करने का दायित्व नहीं है, क्योंकि अधिनियम की धारा 6बी(1) और 5 ए के प्रावधान याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं होते, और याचिकाकर्ता बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत आपूर्ति पर विद्युत शुल्क चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं है।”

12. इस बीच, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड¹² ने विभिन्न विद्युत बोर्डों, जिनमें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड भी शामिल है, को अपनी विद्युत आपूर्ति पर लगाए गए विद्युत शुल्क को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका¹³ दाखिल की थी।

11 2015 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं 4300

12 एनटीपीसी

13 2014 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं 17306

एनटीपीसी केवल विद्युत बोर्डों को विद्युत की आपूर्ति करता था। दिनांक 2 दिसंबर 2015 को उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया कि अपीलकर्ता और एनटीपीसी द्वारा दाखिल की गई दोनों विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाओं को एक साथ सुना जाए, क्योंकि दोनों में उठाया गया प्रश्न मूल रूप से समान था। तत्पश्चात, 20 अक्टूबर 2016 को उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए याचिकाओं को अलग कर दिया कि दोनों मामले समान नहीं हैं, क्योंकि एनटीपीसी एक विद्युत उत्पादन कंपनी है, जबकि अपीलकर्ता एक शुगर मिल कंपनी है जो शीरे से भी विद्युत उत्पन्न करती है। आदेश का प्रासंगिक अंश निम्नलिखित है:

“वर्तमान मामले की तथ्यों की जांच करने पर तथा अन्य दो याचिकाकर्ताओं के मामलों के परीक्षण के बाद यह पाया गया कि अन्य याचिकाकर्ता विद्युत उत्पादन कंपनियाँ हैं, जबकि याचिकाकर्ता एक शुगर मिल कंपनी है जो शीरे से विद्युत भी उत्पन्न करती है।

याचिकाकर्ता के मामले को बिहार शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ इस न्यायालय द्वारा 16.09.2009 के निर्णय में स्वीकार किया गया था, जिसके द्वारा बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम में किए गए कुछ संशोधनों को रद्द कर दिया गया था। लेकिन तत्पश्चात बिहार राज्य द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने पर, सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को पुनः इस न्यायालय को भेज दिया।

उपरोक्त कारणों से, वर्तमान मामले की सुनवाई अन्य विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाओं के साथ नहीं की जाएगी।”

13. दिनांक 14 दिसंबर 2016 को, उच्च न्यायालय ने एनटीपीसी द्वारा दायर विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में अपना निर्णय सुनाया, जिसमें यह कहा गया कि बिहार विद्युत अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत विद्युत शुल्क उस विद्युत उत्पादन कंपनी पर नहीं लगाया जा

सकता जो विद्युत बोर्ड जैसे किसी अनुज्ञप्तिधारक को बिजली आपूर्ति करती है। उच्च न्यायालय का निर्णय दो कारणों पर आधारित था। पहला, न्यायालय ने **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड**¹⁴ के निर्णय पर भरोसा किया, और यह निष्कर्ष निकाला कि राज्य की विधायी क्षमता से बाहर है कि वह ऐसी बिजली की बिक्री पर कर लगाए जो उपभोग के लिए बिक्री नहीं है। इस संदर्भ में, उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि:

“...उच्चतम न्यायालय ने संविधान की सूची-॥ की प्रविष्टि 53 की व्याख्या इस प्रकार की है कि इसका आशय विद्युत की खपत पर या खपत के लिए बिक्री पर कर लगाने से है। ऐसी स्थिति में, चाहे लगाया गया कर सूची-॥ की प्रविष्टि 53 के अंतर्गत विद्युत की खपत या खपत के लिए बिक्री पर कर के रूप में हो, या प्रविष्टि 54 के अंतर्गत वस्तुओं की बिक्री या क्रय पर कर के रूप में हो, दोनों ही परिस्थितियों में इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर योग्य वस्तु, अर्थात् ‘विद्युत’, दोनों ही स्थितियों में समान रहती है, और कर केवल विद्युत की खपत या खपत के लिए बिक्री पर ही लगाया जा सकता है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने एन.टी.पी.सी. के मामले में प्रतिपादित किया है। विद्युत के संदर्भ में इन दोनों प्रविष्टियों के बीच का अंतर उक्त निर्णय के अनुच्छेद 23 में स्पष्ट किया गया है, जहाँ यह कहा गया है कि यदि राज्य विधानमंडल विद्युत की खपत पर कर लगाने का निर्णय लेता है, तो वह प्रविष्टि 54 के अंतर्गत ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें खपत पर कर लगाने का प्रावधान नहीं है, परंतु प्रविष्टि 53 इस प्रकार के कर की अनुमति देती है।

इस प्रकार, जब अधिनियम की धारा 3(1) में यह कहा गया है कि शुल्क की वसूली इकाइयों पर या उपभोग की गई अथवा बेची गई ऊर्जा के मूल्य पर की जाएगी, तो उसे संविधान की प्रविष्टि 53 के अनुरूप ही पढ़ा जाना चाहिए, जो राज्य विधानमंडल

14 (2002) 5 एससीसी 203; ए.पी. राज्य से संदर्भित

को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह बिजली शुल्क को इकाई के आधार पर या उपभोग या उपभोग के लिए बिक्री की गई ऊर्जा के मूल्य के आधार पर लगाए। ऐसी परिस्थिति में, कोई भी ऐसी बिजली की बिक्री जो उपभोग के लिए बिक्री नहीं है, राज्य विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगी, और इस प्रकार अधिनियम की धारा 3(1) को इसी दृष्टिकोण से पढ़ा जाना चाहिए कि वह बिजली शुल्क उपभोग या उपभोग के लिए बिक्री पर लगाने का प्रावधान करती है।”

दूसरा, उच्च न्यायालय ने यह देखा कि बिहार विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कोई विद्युत उत्पादन कंपनी केवल तभी शुल्क अदा करने के लिए उत्तरदायी होती है जब वह विद्युत का विक्रय उपभोक्ता को करती है, जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है। उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि -

“हम अधिनियम की धारा 3(1) को धारा 2(बी), (डी) और (ईई) के साथ पढ़ने पर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत हैं। यह धारा 2(ईई) में ‘ऊर्जा का मूल्य’ की परिभाषा से स्पष्ट है, जो कि एक गणना-संबंधी प्रावधान है, जिसे संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, क्योंकि पूर्ववर्ती प्रावधानों और अधिसूचनाओं को न्यायालय ने दिशा-निर्देशों के अभाव में निरस्त कर दिया था। यह उपखंड (i) के अंतर्गत केवल दो प्रकार के मामलों का प्रावधान करता है—पहला, जब कोई अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को ऊर्जा बेचता है और दूसरा, जब कोई व्यक्ति जो ऊर्जा उत्पन्न करता है, वह उसे उपभोक्ता को बेचता है। चूंकि हम उपखंड (ii) के अंतर्गत वह मामला नहीं देख रहे हैं जिसमें उत्पन्न करने वाला व्यक्ति स्वयं उत्पन्न ऊर्जा का उपभोग करता है, इसलिए केवल वही परिस्थिति होगी जिसमें कोई उत्पादन कंपनी, जैसे कि याचिकाकर्ता या अन्य कोई व्यक्ति जो ऊर्जा उत्पन्न करता है, विद्युत शुल्क अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा, जब वह ऊर्जा सीधे उपभोक्ता को बेचे।

याचिकाकर्ता इस मामले में स्पष्ट रूप से अनुज्ञप्तिधारी नहीं हैं, वे उपभोक्ता को ऊर्जा नहीं बेच रहे हैं, बल्कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड बीएसईबी को बेच रहे हैं, जो धारा 2(डी) के अंतर्गत एक अनुज्ञप्तिधारी है और जो आगे चलकर ऊर्जा को अंतिम उपभोक्ता को बेचता है।...

इस प्रकार, यहां तक कि अधिनियम की उपयुक्तता के आधार पर भी यह माना जाना चाहिए कि धारा 3(1) के अंतर्गत आरोप लगाने संबंधी प्रावधान, अधिनियम में दिए गए 'उपभोक्ता', 'अनुज्ञप्तिधारी' और 'ऊर्जा के मूल्य' की परिभाषाओं के साथ पढ़े जाने पर, ऐसे किसी भी उत्पादक कंपनी पर कर लगाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता जो इस प्रकार के प्रकरण में विद्युत बोर्ड जैसे किसी अनुज्ञप्तिधारी को ऊर्जा की आपूर्ति करती है, क्योंकि ऐसे मामलों में कर की गणना नहीं की जा सकती।”

उच्च न्यायालय के निर्णय से पीड़ित होकर, उत्तरदाताओं ने इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकाएँ¹⁵ दायर कीं। दिनांक 3 जुलाई 2017 वाले आदेश द्वारा, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने उन विशेष अनुमति याचिकाओं को संक्षेप में खारिज कर दिया।

14. अपने दिनांक 18 सितम्बर 2017 के निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बीएसईबी को की गई बिजली आपूर्ति की प्रकृति के संबंध में वास्तविक तथ्यों का निर्धारण किए बिना अपीलकर्ता की रिटर्न दाखिल करने की देनदारी तय नहीं की जा सकती। न्यायालय ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता को अधिनियम में प्रदान किए गए वैकल्पिक वैधानिक उपाय का उपयोग करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया:

“प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के बाद, हम पाते हैं कि यह प्रश्न कि क्या याचिकाकर्ता स्वयं रिटर्न दाखिल करने के लिए उत्तरदायी है और बिहार राज्य विद्युत मंडल को की गई आपूर्ति की प्रकृति तथा लेन-देन की प्रकृति क्या है यह ऐसा विवाद है, जिसके समाधान के लिए तथ्यात्मक जांच आवश्यक है। और जब याचिकाकर्ता के लिए वैधानिक उपाय उपलब्ध है, तो हम इस याचिका को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता को अपील के उपाय का सहारा लेने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए, हम इस विनिर्दिष्ट आदेश याचिका का निष्तारण करते हैं।”

उच्च न्यायालय के इस निर्णय से वर्तमान अपील उत्पन्न हुई है। इस पर 4 जनवरी 2018 को नोटिस जारी किया गया।

पक्षकारों की प्रस्तुतियाँ

15. हमने अपीलकर्ता शुगर मिल की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री एस. के. बगरिया तथा उत्तरदाता राज्य की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री साकेत सिंह की दलीलें सुनी हैं। अपीलकर्ता की ओर से निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं—

(I) अधिनियम की धारा 3 को धाराओं 2(बी), 2(डी) तथा 2(ईई) के साथ मिलाकर पढ़ने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्पादकर्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत की बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता, निम्नलिखित कारणों से—

(क) अधिनियम की धारा 3 एक शुल्क प्रावधान है, जो यह निर्धारित करती है कि कर या तो उपभोग की गई अथवा बेची गई इकाइयों पर, या ऊर्जा के मूल्य पर लगाया जाएगा।

(ख) धारा 2(ईई) में ‘ऊर्जा के मूल्य’ को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि यह वह शुल्क है जो उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को, या उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को देय होता है।

(ग) धारा 2(डी) में 'अनुज्ञप्तिधारी' शब्द की परिभाषा दी गई है, जिसमें बिहार विद्युत बोर्ड को सम्मिलित किया गया है;

(घ) "ऊर्जा का मूल्य" वाक्यांश यह दर्शाता है कि यह वह शुल्क है, जो उपभोक्ता द्वारा या तो अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादनकर्ता को देय होता है। चूंकि बीएसईबी अधिनियम की धारा 2(घ) के अंतर्गत एक "अनुज्ञप्तिधारी" है, उपभोक्ता नहीं, अतः उत्पादनकर्ता (अपीलकर्ता) द्वारा विद्युत का जो विक्रय अनुज्ञप्तिधारी बीएसईबी को किया जाता है, वह "ऊर्जा के मूल्य" वाक्यांश में नहीं आता और अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उस पर कर नहीं लगाया जा सकता।

(ii) बीएसईबी उन उपभोक्ताओं को की गई विद्युत बिक्री पर विद्युत शुल्क का भुगतान करता है, जिसमें वह विद्युत भी सम्मिलित है जो कंपनी द्वारा बोर्ड को आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार यदि कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई विद्युत पर भी कर लगाया जाए, तो यह दोहरा कराधान होगा।

(iii) जब अपीलकर्ता कर अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, तब अधिनियम की धाराओं 6 बी(1) और 5 ए के अंतर्गत रिटर्न दाखिल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(iv) उपर्युक्त सभी तर्कों के बिना पूर्वग्रह लिए, यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि राज्य को अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उत्पादनकर्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत आपूर्ति पर कर लगाने का अधिकार है, तब भी बिहार सरकार ने यह अधिकार प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि धारा 3 के अनुसार इस हेतु दर निर्धारित करने के लिए अधिसूचना जारी की जानी आवश्यक है। 21 अक्टूबर 2002 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एकमात्र ऐसी अधिसूचना है जो "विद्युत ऊर्जा

की उपभोग या बिक्री” पर देय शुल्क की दर का प्रावधान करती है। उक्त अधिसूचना में यह कहा गया है कि सिंचाई को छोड़कर अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपभोग या विक्रय की गई विद्युत ऊर्जा के लिए शुल्क की दर “ऊर्जा के मूल्य” का छह प्रतिशत होगी। तथापि, “ऊर्जा के मूल्य” की परिभाषा केवल उपभोक्ता को की गई आपूर्ति को ही सम्मिलित करती है।

(v) तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है। बीएसईबी एक अनुज्ञप्तिधारी है, उपभोक्ता नहीं। यदि अधिकार क्षेत्र से परे शक्ति का प्रयोग किया गया है, तो वैकल्पिक उपाय के नियम का अनुप्रयोग नहीं होगा (इस संदर्भ में **रजा टेक्सटाइल्स लि. बनाम आईटीओ**¹⁶, भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड बनाम मैसूर राज्य¹⁷ तथा राधा कृष्णा इंडस्ट्रीज बनाम हिमाचल राज्य¹⁸ पर भरोसा किया गया है)। चूंकि राज्य द्वारा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अपीलकर्ता द्वारा बीएसईबी को विद्युत बिक्री पर बिजली शुल्क लगाने की शक्ति अधिकार क्षेत्र का प्रश्न है, इसलिए वैकल्पिक उपाय का नियम लागू नहीं होगा।

(vi) इस न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने **आंध्र प्रदेश राज्य** (उपर्युक्त) मामले में यह निर्णय दिया था कि सातवीं अनुसूची की सूची II के प्रविष्टि 53, जो “विद्युत की खपत या बिक्री पर कर” से संबंधित है, का अर्थ “विद्युत की खपत या खपत के लिए की गई बिक्री पर कर” के रूप में किया जाना चाहिए। चूंकि अपीलकर्ता बीएसईबी को विद्युत खपत के लिए नहीं बल्कि वितरण के लिए बेचता है, इस प्रकार

16 (1973) 1 एससीसी 633

17 ए आई आर 1963 एससी 548

18 2021 एससीसी ऑन लाईन एससी 334

ऐसी बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता, जैसा कि आंध्र प्रदेश राज्य (उपर्युक्त) में व्याख्या की गई। इसलिए राज्य के पास उस कानून को बनाने की विधायी क्षमता नहीं है, जो उत्पादनकर्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत आपूर्ति पर कर लगाता है; और

- (vii) एनटीपीसी के निर्णय में वर्णित तथ्य और उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता द्वारा दायर विनिर्दिष्ट आदेश याचिका से उत्पन्न तथ्य, दोनों एक समान थे। उच्च न्यायालय ने त्रुटिपूर्वक विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाओं को अलग किया और एनटीपीसी द्वारा दायर विनिर्दिष्ट आदेश याचिका पर विचार करते हुए अपीलकर्ता की विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को खारिज कर दिया।

16. उत्तरदाता की ओर से अधिनियम की रूपरेखा का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

- (i) धारा 3 के दो भाग हैं—(i) ऊर्जा के “मूल्य” पर कर का अधिरोपण; तथा (ii) बेची गई ऊर्जा की “इकाइयों” पर कर का अधिरोपण। धारा 2(ईईई), जिसमें “ऊर्जा के मूल्य” की परिभाषा दी गई है, के अंतर्गत केवल उपभोक्ता को की गई बिक्री ही शामिल है। यद्यपि को की गई बिक्री पहले भाग में सम्मिलित नहीं है, परंतु वह धारा 3 के दूसरे भाग के अंतर्गत आती है, जो बेची गई ऊर्जा की “इकाइयों” से संबंधित है।
- (ii) धारा 3(2)(सी) यह प्रावधान करती है कि उस ऊर्जा की इकाइयों पर कोई शुल्क देय नहीं होगा, जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने विद्युत उपक्रम के निर्माण, अनुरक्षण और संचालन में उपभोग की गई हो। धारा 4 यह उपबंध करती है कि प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी सरकार को उन “ऊर्जा की इकाइयों” पर शुल्क देगा जो उसने उपभोग की हैं या बेची हैं। धारा

4 ए यह घोषित करती है कि शुल्क "ऊर्जा की बिक्री की श्रृंखला के प्रत्येक बिंदु पर" देय होगा।

यदि धारा 3 को इस प्रकार सीमित रूप में पढ़ा जाए कि उसमें 'ऊर्जा की इकाइयों' की बिक्री को परिभाषा से बाहर कर दिया जाए, तो इससे अधिनियम की धाराएँ 3(2)(सी), 4 और 4 ए निष्प्रभावी हो जाएंगी;

- (iii) धारा 4 ए(2) के अनुसार, 'प्रत्येक पूर्ववर्ती अवस्था में बिक्री' पर चुकाए गए शुल्क की राशि का समायोजन, आगामी अवस्था में किया जाएगा। अतः उत्पादनकर्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को की गई बिक्री पर कर लगाया जाना दो गुणा कराधान नहीं कहलाएगा।
- (iv) पटना उच्च न्यायालय ने एनटीपीसी के निर्णय में धारा 3 की व्याख्या केवल परिभाषा संबंधी उपधाराओं के संदर्भ में की थी और संपूर्ण अधिनियम का समग्र रूप से अध्ययन नहीं किया गया था। यह निर्णय केवल 'ऊर्जा का मूल्य' वाक्यांश की व्याख्या तक सीमित रहा और 'ऊर्जा की इकाई' वाक्यांश का कोई संदर्भ नहीं लिया गया और
- (v) सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने **आंध्र प्रदेश राज्य** (उपरोक्त) के मामले में सूची II की प्रविष्टि 53 को 'विक्रय पर कर' इस अर्थ में पढ़ा कि इसका तात्पर्य 'उपभोग हेतु विक्रय' से है, क्योंकि विद्युत को न तो संग्रहित किया जा सकता है और न ही संरक्षित रखा जा सकता है। अतः उसका विक्रय केवल उपभोग के लिए ही संभव है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक में, प्रविष्टि 53 की व्याख्या इस प्रकार उद्देश्यपूर्ण रूप से की जानी चाहिए कि वह अंतिम उपभोग के लिए उत्पादनकर्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को की गई बिक्री को भी शामिल करे। यह निर्णय

‘मध्यवर्ती वितरक’ को की गई बिक्री, जो अंततः उपभोग के लिए होती है, को बाहर नहीं करता।

विक्षेपण

17. परस्पर विरोधी तर्क हमारे विचारार्थ प्रस्तुत हैं। अपील में आक्षेपित निर्णय में उच्च न्यायालय ने दो आधारों पर विनिर्दिष्ट आदेश याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया: (i) अपीलकर्ता के पास अधिनियम की धारा 9 ए के तहत एक वैकल्पिक वैधानिक उपचार उपलब्ध है; और (ii) विवाद में तथ्य के ऐसे प्रश्न शामिल हैं जो उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं।

18. अपीलकर्ता ने मुख्य रूप से दो आधारों पर, *अन्य बातों के साथ-साथ*, विद्युत शुल्क और जुर्माने के अधिरोपण को चुनौती दी है:

- (i) प्रथम उत्तरदाता को अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत केवल उपभोग या विक्रय की गई ऊर्जा के मूल्य पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। धारा 2(ईई) में ‘ऊर्जा का मूल्य’ को उस ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी उपभोक्ता को किसी अनुज्ञापि या अन्य व्यक्ति द्वारा बेची जाती है। धारा 2(बी) में ‘उपभोक्ता’ की परिभाषा में अनुज्ञप्ति को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है, जबकि धारा 2(डी) में ‘अनुज्ञप्तिधारी’ की परिभाषा में बीएसईबी को सम्मिलित किया गया है। चूंकि अपीलकर्ता विद्युत आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी को कर रहा है, जो उपभोक्ता की परिभाषा में नहीं आता, अतः अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत कर नहीं लगाया जा सकता।
- (ii) सूची II की प्रविष्टि 53, संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत, विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर लगाने का प्रावधान करती है।
आंध्र प्रदेश राज्य (उपरोक्त) संबंधी इस न्यायालय के निर्णय के

अनुसार, 'विक्रय' और 'उपभोग' शब्दों को समान अर्थ प्रदान किया गया है, क्योंकि विद्युत के विक्रय की क्रिया स्वयं उसके उपभोग का द्योतक है, चूँकि विद्युत को न तो संरक्षित किया जा सकता है और न ही संचयित। सूची ॥ की प्रविष्टि 54 (उस समय लागू अवस्था में) वस्तुओं के विक्रय या क्रय पर कर लगाने से संबंधित थी, जिसमें विद्युत भी सम्मिलित थी परंतु समाचारपत्रों को छोड़कर, और यह सूची ॥ की प्रविष्टि 92-ए के उपबंधों के अधीन थी। **आंध्र प्रदेश राज्य** (उपरोक्त) के निर्णय के अनुसार, प्रविष्टि 54 के अंतर्गत विद्युत के 'विक्रय' का अर्थ, विद्युत के उपभोग हेतु विक्रय के रूप में ही लिया जाएगा। अतः, बिहार विद्युत अधिनियम के प्रावधानों की परवाह किए बिना, प्रथम उत्तरदाता को ऐसी विद्युत के विक्रय पर कर लगाने की विधायी क्षमता प्राप्त नहीं है जो उपभोग के लिए न हो। अपीलकर्ता, विद्युत का विक्रय बीएसईबी को उसके स्वयं के उपभोग हेतु नहीं कर रहा है; बल्कि बीएसईबी ही विद्युत का वितरण अंतिम उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए कर रहा है।

19. यद्यपि एक उच्च न्यायालय सामान्यतः संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा यदि एक प्रभावी और प्रभावकारी वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हो, फिर भी वैकल्पिक उपचार का अस्तित्व अपने आप में उच्च न्यायालय को कुछ आकस्मिकताओं में अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोकता है। इस सिद्धांत को इस न्यायालय ने **वरलपूल कॉरपोरेशन बनाम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार, मुंबई¹⁹** तथा **हरवंशलाल साहनी बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड²⁰** के मामलों में स्थापित किया है। हाल ही में **राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज बनाम**

19 (1998) 8 एससीसी 1

20 (2003) 2 एससीसी 107

हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य²¹ के मामले में, दो-न्यायाधीशीय पीठ, जिसमें हममें से एक (न्यायमूर्ति डी. वाय. चंद्रचूड) भी शामिल थे, ने उन सिद्धांतों का सार प्रस्तुत किया है जो यह नियंत्रित करते हैं कि जब कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो, तब उच्च न्यायालय अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किस प्रकार कर सकता है। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की हैं:

“28. विधि के जो सिद्धांत उभरकर सामने आते हैं, वे इस प्रकार हैं:

(i) संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रयोग की जा सकती है, बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी की जा सकती है।

(ii) उच्च न्यायालय के पास विवेकाधिकार होता है कि वह विनिर्दिष्ट आदेश याचिका पर विचार न करे। उच्च न्यायालय की शक्ति पर एक प्रतिबंध यह है कि जब किसी प्रभावित व्यक्ति के लिए कोई प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो।

(iii) वैकल्पिक उपाय के सामान्य नियम के कुछ अपवाद इस प्रकार हैं—(क) जब विनिर्दिष्ट आदेश याचिका संविधान के भाग III के अंतर्गत संरक्षित किसी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु दायर की गई हो; (ख) जब नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो; (ग) जब आदेश या कार्यवाही पूर्णतः अधिकार क्षेत्र से परे हो; या (घ) जब किसी विधेयक या अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई हो।

(iv) केवल वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता भर से उच्च न्यायालय की अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्तियाँ समाप्त नहीं होतीं। तथापि, सामान्यतः जब

विधि द्वारा एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो, तो विनिर्दिष्ट आदेश याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए;

(v) जब किसी विधि द्वारा कोई अधिकार निर्मित किया जाता है और वही विधि उस अधिकार या दायित्व को लागू करने की विशेष उपाय या प्रक्रिया का प्रावधान करती है, तो उस कानून में निर्दिष्ट उपाय का ही सहारा लिया जाना चाहिए, इससे पहले कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत विवेकाधीन उपचार की मांग की जाए। वैधानिक उपायों के उपयोग का यह सिद्धांत नीति, सुविधा और विवेक का नियम है; और

(vi) जिन मामलों में तथ्यात्मक विवाद होते हैं, उन स्थितियों में उच्च न्यायालय याचिका पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। किन्तु यदि उच्च न्यायालय वस्तुनिष्ठ रूप से यह मानता है कि विवाद का स्वरूप उसकी रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग की आवश्यकता उत्पन्न करता है, तो ऐसी राय में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

(जोर दिया गया)

यह सिद्धांत कि वैकल्पिक उपायों का पालन पहले किया जाना चाहिए और उसके अपवाद क्या हैं, हाल ही में सहायक आयुक्त, राज्य कर बनाम मैसर्स कमर्शियल स्टील लिमिटेड²² के निर्णय में भी दोहराया गया था। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड²³ में इस न्यायालय ने यह माना कि यदि कर प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से परे कार्य कर रहे हों, तो उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई विनिर्दिष्ट आदेश याचिका स्वीकार्य होगी। न्यायालय ने यह अवलोकन किया:

²² 2021 की दीवानी अपील सं 5121

²³ (2005) 6 एससीसी 499

“23. जहां किसी विधि के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया हो या जब निर्विवाद तथ्यों के आधार पर यह प्रदर्शित हो कि कर प्राधिकरणों ने ऐसा अधिकार क्षेत्र ग्रहण कर लिया है जो उन्हें प्राप्त नहीं है, ऐसी स्थिति में विनिर्दिष्ट आदेश याचिका स्वीकार की जा सकती है। परंतु सामान्यतः, उच्च न्यायालय को विनिर्दिष्ट आदेश याचिकाएं तब तक नहीं सुननी चाहिए जब तक यह प्रदर्शित न किया जाए कि मामले में कुछ ऐसा विशेष तत्व है जो अधिकारी के अधिकार क्षेत्र की जड़ को प्रभावित करता है, या ऐसा कुछ जो यह दिखाता है कि यदि याचिकाकर्ता को वैधानिक उपायों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाए तो उसके साथ प्रत्यक्ष अन्याय होगा। इस न्यायालय ने एल हृदय नारायण बनाम आयकर अधिकारी [(1970) 2 एससीसी 355: ए.आई.आर 1971 एससी 33] में यह उल्लेख किया था कि यदि उच्च न्यायालय ने वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के बावजूद याचिका पर विचार कर लिया हो और पक्षकारों को गुण-दोष पर सुन लिया हो, तो सामान्यतः केवल इस आधार पर कि वैकल्पिक उपायों का पालन नहीं किया गया, याचिका को खारिज करना उचित नहीं होगा; जब तक कि न्यायालय यह न पाए कि उसमें तथ्यात्मक विवाद शामिल हैं जिन पर विनिर्दिष्ट आदेश याचिका में विचार करना उपयुक्त नहीं होगा।”

20. यह सिद्धांत इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा **कार्यपालक अभियंता बनाम सीताराम राइस मिल²⁴** प्रकरण में पुनः दोहराया गया। उस मामले में, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126(1) के अंतर्गत विद्युत उपयोग के

आधार पर करदाता को कारण बताओ सूचना पत्र/अस्थायी आक अनाधिकृत लन आदेश जारी किया गया था और विद्युत शुल्क के भुगतान की मांग की गई थी। करदाता ने यह तर्क दिया कि धारा 126 उस पर लागू नहीं होती और उसने कर प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी, जिसके लिए उसने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट क्षेत्राधिकार में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने उस विनिर्दिष्ट आदेश याचिका पर विचार किया। जब उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील दायर की गई, तब इस न्यायालय ने यह माना कि उच्च न्यायालय ने कर प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने के प्रश्न पर अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में कोई त्रुटि नहीं की। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:

“81. क्या न्यायालयों को मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय करना चाहिए या उन्हें अधिमानतः मामले के तथ्यों से उत्पन्न होने वाले प्रारंभिक मुद्दे या क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे का उत्तर देना चाहिए और मामले को सक्षम प्राधिकारी द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार करने के लिए प्रेषित कर देना चाहिए? पुनः, क्षेत्राधिकार के ऐसे प्रयोग को नियंत्रित करने वाले किसी भी सिद्धांत को पूर्ण स्पष्टता के साथ बताना कुछ हद तक कठिन है। यह हमेशा किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। हमारी सुविचारित राय है कि न्याय प्रशासन के हित को बेहतर तरीके से तब पूरा किया जा सकेगा जब वर्तमान प्रकार के मामलों की सुनवाई न्यायालयों द्वारा केवल वहीं की जाए जहाँ उनमें क्षेत्राधिकार के प्राथमिक प्रश्न शामिल हों या ऐसे मामले हों जो क्षेत्राधिकार की मूल जड़ तक जाते हों और जहाँ प्राधिकारियों ने अधिनियम के प्रावधानों से परे जाकर कार्य किया हो।

82. यह तर्क दिया जाता है, और कुछ हद तक सही भी है, कि केवल इस आधार पर उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इंकार

नहीं करना चाहिए कि विधि में एक वैकल्पिक वैधानिक उपाय उपलब्ध है, जब मामला उपरोक्त श्रेणी के मामलों में आता हो। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय या न्यायाधिकरण व्यर्थ में अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं करेगा। कानून स्वयं व्यर्थ या निरर्थक कार्य करने का प्रयत्न नहीं करता — कानून कुछ भी व्यर्थ नहीं करता, और न ही ऐसा कार्य करवाने का प्रयास करता है जो निरर्थक या बेकार हो — कानून किसी को व्यर्थ या व्यर्थ काम करने के लिए बाध्य नहीं करता— अर्थात् कानून किसी को व्यर्थ और निष्फल कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करता। दूसरे शब्दों में, यदि किसी न्यायाधिकरण द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से व्यर्थ प्रतीत होता है, तो ऐसे किसी कारण से उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप करना उचित होगा। यह विषय अब पहले जैसा नहीं रहा है और इस न्यायालय के अनेक निर्णयों द्वारा पहले ही इसका निपटारा किया जा चुका है, जिनका विस्तार से उल्लेख करना हमें आवश्यक नहीं लगता...”

(जोर दिया गया)

21. **भारत संघ बनाम हरियाणा राज्य**²⁵ में निर्धारण प्राधिकारियों ने टेलीफोन की आपूर्ति के लिए वसूले गए किराए पर बिक्री कर लगा दिया था। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए याचिकाएँ खारिज कर दीं कि वैधानिक अपील का एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। इन आदेशों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई। अपील स्वीकार की गई और मामला उच्च न्यायालय को यह निर्धारण करने के लिए वापस भेजा गया कि क्या टेलीफोन की आपूर्ति को विक्रय माना जा सकता है।

22. यह अपीलकर्ता का मामला नहीं है कि उत्तरदाताओं ने उस पर लगाए गए शुल्क और दंड की गणना गलत की है। अपीलकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार को

बीएसईबी को की गई विद्युत बिक्री पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। अतः यह दलील सरकार के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर आघात करती है। उपर्युक्त वैकल्पिक उपाय के नियम पर चर्चा किए गए कानून के परिप्रेक्ष्य में, यदि किसी प्राधिकारी के आदेश को उसके अधिकार और क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर चुनौती दी जाती है, जो कि पूर्णतः विधि का प्रश्न है, तो उच्च न्यायालय अपनी रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है।

23. यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता एक शुगर मिल है जो बगास (चीनी उत्पादन का उप-उत्पाद) से विद्युत उत्पन्न करती है। उत्पन्न की गई विद्युत मिल के संचालन हेतु उपयोग की जाती है तथा अतिरिक्त विद्युत बीएसईबी को बेची जाती है। अपीलकर्ता और बीएसईबी के बीच लेन-देन के स्वरूप को लेकर कोई विवाद नहीं है। प्रारंभ में, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका को एनटीपीसी द्वारा दायर याचिका के साथ जोड़ा गया था क्योंकि दोनों में समान प्रश्न शामिल थे। किन्तु बाद में इसे अलग कर दिया गया और स्वतंत्र रूप से सुना गया, क्योंकि इस मामले में अपीलकर्ता एक शुगर मिल है जो विद्युत भी उत्पन्न करती है, जबकि एनटीपीसी एक विद्युत उत्पादन कंपनी है। अपीलकर्ता द्वारा दायर विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया। अपीलकर्ता तथा एनटीपीसी — दोनों ने अपनी-अपनी याचिकाओं में राज्य सरकार के उस अधिकार को चुनौती दी थी जिसके तहत राज्य विद्युत बोर्ड को बिजली की बिक्री पर कर लगाया गया था। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने **श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त**²⁶ के मामले में तथ्यों से संबंधित प्रश्नों, विधि संबंधी प्रश्नों तथा मिश्रित प्रश्नों की पहचान के लिए परीक्षणों की स्पष्ट व्याख्या की थी। न्यायमूर्ति टी. एल. वेंकटरामा अय्यर ने उक्त निर्णय में पीठ की ओर से लिखते हुए यह मत व्यक्त किया था कि:

“9. [...] यह उदाहरण लेते हैं कि एक वचन पत्र पर आधारित वाद में उत्तरदाता द्वारा निष्पादन से इंकार का प्रतिरक्षा लिया गया है। न्यायालय यह

पाता है कि विवादित हस्ताक्षर, उत्तरदाता के स्वीकृत हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते। यह भी पाया जाता है कि जिन साक्षियों ने निष्पादन के संबंध में गवाही दी है, वे वास्तव में कथित निष्पादन के समय उपस्थित नहीं थे। इन तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वचन पत्र वास्तविक नहीं है। यहाँ कुछ तथ्य निश्चित किए गए हैं और उन तथ्यों के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला गया है, जो स्वयं भी एक तथ्य का निष्कर्ष है।

10. यह अंश बताता है कि तथ्य और विधि से संबंधित प्रश्नों के बीच एक विस्तृत क्षेत्र होता है, जहाँ दोनों एक-दूसरे में मिल जाते हैं और इस प्रकार एक-दूसरे के भीतर कुछ क्षेत्र या संकुल बन जाते हैं। उस क्षेत्र में जो प्रश्न निर्णय के लिए उठते हैं, उन्हें विधि और तथ्य के मिश्रित प्रश्न कहा जाता है। इन प्रश्नों में पहले साक्ष्य के आधार पर तथ्यों का निर्धारण किया जाता है और उसके बाद निर्धारित तथ्यों पर विधि के उपयुक्त सिद्धांतों का प्रयोग करके पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण के लिए, यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या उत्तरदाता ने विवादित संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे से स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। तथ्यों से यह पाया गया है कि भूमि एक खाली जगह है, उत्तरदाता समीपवर्ती आवासीय मकान का मालिक है और वह उस भूखंड पर अनाज व कपड़े सुखाता रहा है तथा कचरा भी फेंकता रहा है। यह आगे विचार करने का प्रश्न है कि क्या उपर्युक्त तथ्यों को विधि के अनुसार प्रतिकूल कब्जे के रूप में मान्य ठहराया जा सकता है। क्या उपयोग निरंतर है या अस्थायी? क्या वह स्वाधिकार पर आधारित है या अनुमतिपूर्ण प्रकृति का है? अतः, यह तय करने के लिए कि उत्तरदाता ने प्रतिकूल कब्जे के द्वारा स्वामित्व प्राप्त किया है या नहीं, न्यायालय को सबसे पहले साक्ष्यों के

मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करना होता है कि वास्तविक तथ्य क्या हैं। इस सीमा तक यह तथ्य का प्रश्न है। तत्पश्चात न्यायालय को प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व अर्जन के संबंध में विधि के सिद्धांतों को लागू करना होता है और यह निर्णय करना होता है कि साक्ष्यों से स्थापित तथ्यों के आधार पर विधि की आवश्यकताएँ पूरी होती हैं या नहीं। यह विधि का प्रश्न है।”

यह जांचने के लिए लागू किया जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या न्यायालय के समक्ष पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण तथ्यों की स्थिति का संदर्भ लिए बिना किया जा सकता है। इस मामले में, उच्च न्यायालय को अधिनियम की धारा 3 में प्रयुक्त वाक्यांशों के अर्थ का निर्धारण करने का कार्य सौंपा गया था, ताकि यह तय किया जा सके कि अपीलकर्ता द्वारा की गई बिजली की आपूर्ति उसकी परिधि में आती है या नहीं। वचन पत्र के निष्पादन या प्रतिकूल कब्जे की दलील से संबंधित विवाद के विपरीत, इस मामले में तथ्यों पर कोई निर्णय आवश्यक नहीं है। यहां लेन-देन की प्रकृति को लेकर भी कोई विवाद नहीं है।

24. यह अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे विधि के प्रश्न हैं, जिनके लिए बिहार विद्युत अधिनियम के व्यापक पठन के आधार पर यह निर्धारण आवश्यक है कि क्या कर का आरोप उस स्थिति में लगाया जा सकता है जब एक विद्युत उत्पादक (जो साथ ही चीनी का भी निर्माण करता है) किसी वितरक को विद्युत आपूर्ति करता है; तथा क्या प्रथम उत्तरदाता को विद्युत की बिक्री पर, जब वह एक मध्यवर्ती वितरक को की जाती है, शुल्क लगाने की विधायी क्षमता प्राप्त है, विशेषकर इस न्यायालय के **आंध्र प्रदेश राज्य** (उपर्युक्त) के निर्णय के आलोक में। यह प्रश्न कि क्या अपीलकर्ता को अधिनियम की धारा 6 बी(1) और 5 ए के अंतर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है, सीधे-सीधे इस विषय से संबंधित है कि क्या अपीलकर्ता द्वारा बीएसईबी को की

गई विद्युत बिक्री धारा 3(1) के अधिभार प्रावधानों के अंतर्गत आती है। अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए ये प्रश्न किसी तथ्यगत विवाद में प्रविष्ट हुए बिना ही निर्णीत किए जा सकते हैं। अतः वर्तमान मामला उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विचारणीय है।

25. यह न्यायालय इस मत का है कि उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश याचिका पर विचार करने से इंकार करना एक त्रुटि थी और यह उचित होगा कि कार्यवाही को नए सिरे से निस्तारण के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाए। पुनर्विचार पर निर्णय को सुगम बनाने के लिए, हमने पक्षकारों के गुण-दोष के आधार पर की गई व्यापक दलीलों को अभिलेखित किया है, परंतु इस विषय पर उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से मूल्यांकन किया जाना उपयुक्त समझा है। अतः अपील को स्वीकार किया जाता है और दिनांक 18 सितंबर 2017 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित 2015 की दीवानी अपील क्षेत्राधिकार मामला सं 4300 से संबंधित निर्णय को अपास्त किया जाता है। विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को नए सिरे से विचारार्थ उच्च न्यायालय के अभिलेख में पुनर्स्थापित किया जाता है। अपील का निपटारा उपर्युक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है, जिसमें लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

26. अपीलकर्ता ने वाद शीर्षक में संशोधन के लिए एक आवेदन²⁷ दायर किया था, क्योंकि विलय के पश्चात अपील में पक्षकार बनने का अधिकार मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड के पास रहा, आवेदन स्वीकार किया जाता है।

27. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किए जाते हैं।

अपील की अनुमति है।

निधि जैन

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।